

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियां (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

दिनेश भुगवाडे*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - किसी भी समाज में महिलाओं का विकास महत्वपूर्ण है शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं एवं किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने में सफल होती हैं महिलाओं के विकास के लिए विश्वव्यापी राष्ट्रीय प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाना अति आवश्यक है जिसमें समाज और राष्ट्र के स्वरूप एवं संतुलित विकास में महिलाओं की भूमिका और उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि एक महिला अपने बच्चों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को जिस रूप में ढालती हैं जैसा आकार प्रदान करती है वैसा ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है देश में महिलाएं लगभग 50 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि समाज का बहुमूल्य अंग मानी जाती है कोई समाज महिलाओं में विद्यमान संभावना को अनदेखा कर सकता है जब महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक नहीं होती हैं।

अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सामाजिक संबंधों की स्थापना हेतु व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है तथा साथ ही वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह के अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है साथ ही अन्य व्यक्तियों से क्रिया तथा अन्य क्रियाएं करता है इन सब के बावजूद भी इसे कुछ अभाव बना ही रहता है जिसे विभिन्न समस्याएं जीवन में उभर कर सामने आती हैं।

शब्द कुंजी-अनुसूचित जनजाति, महिलाओं/महिलाएं, जीवन, शिक्षित, जागरूकता।

प्रस्तावना - एक परिवार, समाज और देश के विकास ने महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं हम इसके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर दिखने लगा है अभी भी कुछ अनुसूचित जनजाति ग्रामीण में निवास करती हैं अनुसूचित जनजाति तो नहीं पर जंगलों, पहाड़ों, बिहड़ों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति अभी भी आधुनिक सभ्यता संस्कृति राजनैतिक जीवन आदि से अछूती है।

लेकिन फिर भी आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पतन महिला का ही हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश पुरुष प्रधान है यहां समाज में पुरुषों का बोलबाला है यहां पुरुषों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है फिर चाहे वह शिक्षा हो या घर के बाहर निकाल कर उत्पादन करने की आजादी हो इन सभी क्षेत्रों में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि महिलाओं को इन क्षेत्रों में रोक-टोक का सामना करना पड़ता है शिक्षा से भी महिलाओं को वंचित रखा जाता है घर से बाहर निकाल कर उत्पादन करने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन पूर्णतः नहीं।

मेकाइवर और पेज से अपनी कृति 'समाज' में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है वस्तुतः समाज सामाजिक समस्याओं का भी जाल है। सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विभिन्न समस्याएं विद्यमान रहने के कारण ही इनके समाधान में व्यक्ति अपने के निरंतर लगाए रखना है खासतौर से अन्य समस्याओं तो की जा सकती है किंतु सामाजिक समस्याएं अपने आप में कठिन और जटिल हुआ करती हैं मनुष्य कभी भी

सामाजिक समस्याओं में पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है।

ए. एम. रोज ने लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है इसे सामाजिक समस्या प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पायी जाती हैं और उत्तरदायी कारणों को इस रूप में देखा जाता है कि वह पर्यावरण में ही मौजूद है। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेषता रही है। इसके आधार पर हिंदू समाज वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त था। प्रारंभिक अवस्था में वर्ण के आधार पर ही जातियों का निर्धारण होने लगा पहले से ही समाज के प्रथम तीन वर्ग संपन्न रहे हैं। किंतु चौथे वर्ग प्रारंभ से ही शोषित, दलित, पिछड़ा एवं कमजोर रहा है। अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता मानने वाले लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी घोषित किया है। अनुसूचित जनजाति के महिलाओं स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए शासन ने अनेक विकास योजनाएं प्रारंभ की हैं। शासकीय नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित दिए गए हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनुसूचित जनजाति को बाहुल्य क्षेत्र को एक विशेष परियोजना के अंतर्गत लाकर जगह-जगह स्कूल खोले गए जो की महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात के समयमें भी चलाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सरकार की ओर से कई तरह के सुविधा दी जाती है। इन महिलाओं को अनेक उनके स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना को विकास किया गया है। इसके तहत महिलाओं को स्वास्थ्य

एवं स्वच्छता एवं पौष्टिक पोषक आहार संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी जैसे अनेक शासकीय केंद्र खोले गए हैं।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संस्कारों रीति-रिवाज रहन-सहन एवं कर्मकांड विश्वास आदि को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इन महिलाओं के जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं को अध्ययन का प्रमुख अंग बनाया गया है तथा अध्ययन में पूर्णतः निष्पक्षता एवं सतर्कता बढ़ती गई है।

शोध का उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति में होने वाले उत्पीड़न में महिलाओं के विचारों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पारिवारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आवास व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना।
4. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
5. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निर्धनता एवं पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।
6. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
7. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक सजकता एवं अभिरुचि का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना :

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ हैं।
3. प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में परिवर्तन हो रहा है।

शोध महत्व

सैद्धांतिक महत्व - बड़वानी जिले की वरला तहसील के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की समस्याओं का सामाजिक स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित उपयोगिता पर आधारित है।

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के परिवारों में व्याप्त निर्धनता रुढ़िवादिता जैसे रहन-सहन के निम्न स्तर आदि समस्याओं के कारणों की खोज की गई है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय खोजे गए हैं।
4. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के पारिवारिक संरचना विवाह धार्मिक विश्वास आदि विषयों पर भी अध्ययन किया गया है।

व्यावहारिक महत्व :

1. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. इस शोध कार्य से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन्हें दूर करने के

प्रयास में सहायता करना।

3. धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागिता की जानकारी से इनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्राप्त होता है।

शोध पद्धति - प्रस्तुत शोध कार्य में शोध रखते हुए निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग किया है।

निर्दर्शन पद्धति :

1. अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्य परक निर्देशन के अंतर्गत बड़वानी जिले का चयन किया गया है।
2. बड़वानी जिले में रह रहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का चयन प्रतिदर्शन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण

प्रश्नावली - अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए बड़वानी जिले के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जाने के प्रयास किए गए हैं तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पत्र के रूप में खुला प्रश्न दिया गया जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध में शामिल किया गया है।

अनुसूची - कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहां अनुसूची के रूप में किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण - प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केंद्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है प्रस्तुत शोध बड़वानी जिले में रहने वाले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है अध्ययन में जिनमें विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई तथ्य संकलन हेतु 50 से अधिक प्रश्नावली अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में 50 प्रतिभागियों के मतों को शामिल किया गया है तथ्य संकलन का कार्य अक्टूबर 2024 में किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप में हां, नहीं और पता नहीं को तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है जो इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक - 1

- 1 क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक हैं?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हां	20	40%
2	नहीं	25	50%
3	पता नहीं	5	10%
	योग	50	100%

विश्लेषण - तालिका क्रमांक 1 के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक हैं कुल 50 उत्तरदाताओं के चुनाव में से 20 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने नकहा है कि हा जागरूकता है जबकि 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने

कहा जागरूक नहीं है तथा 5 (10प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा ज्ञात नहीं है।

तालिका क्रमांक -2

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	22	44%
2	सहयोगात्मक	15	30%
3	उपेक्षित	13	26%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 2 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 22(44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि 15(30प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण सहयोगात्मक है तथा 13(26प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज के दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं है।

तालिका क्रमांक-3

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हां	24	48%
2	नहीं	22	44%
3	पता नहीं	4	8%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 3 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के कार्य करने की दिशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 24(48प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि कार्य करने की दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है जबकि 22(44प्रतिशत) ने कहा कि कार्य करने के संदर्भ में जानकारी नहीं है तथा 4(8प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 25% उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज जागरूकता में अभी-अभी कमी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है के संदर्भ में 50 सदस्यों में से 44 उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि मनुष्य जनजाति के महिलाओं के कार्य करने के दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है के संदर्भ में कुल 50 सदस्यों में से 48% ने कहा कि कार्य करने की दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है।

सुझाव - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियों के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

शिक्षा और जागरूकता

1. **शिक्षा के अवसर प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि

वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें। आर्थिक सशक्तिकरण

1. **आर्थिक अवसर प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

2. **स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

सामाजिक समर्थन

1. **सामाजिक समर्थन प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सामाजिक समर्थन प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

कानूनी संरक्षण

1. **कानूनी संरक्षण प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।

2. **कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. बघेल डी.एस. (1990) भारतीय सामाजिक समस्याएं पुस्तक पुष्पराज प्रकाशन, रीवा।
2. तिवारी शिव कुमार (1998) मध्यप्रदेश के आदिवासी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. उर्वेती एज. सी. (1970) भारतीय जनजाति ओरिएंटल प्रकाशन।
4. पटेल जी.पी. (1991) बैगा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन।
5. डेविस किंग्सले (1973) मानव समाज किताब महल, इलाहाबाद।
6. त्रिपाठी बालिका मधुसूदन (2006) शिक्षा विद्यावती प्रकाशन साहित्य, नई दिल्ली।
7. घोष मालिनी (2002) इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली साक्षरता योग्यता और सामर्थ्य शक्ति का प्रभाव पर शोध एवं कार्य समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन, मुंबई।
8. भट्टाचार्य ए. (2015) कैरियर कर्क कैपिलिस्ट स्ट्रक्चर एंड वाइलेंस अगेस्ट वूमन नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फॉर कैरियर वर्क दिल्ली में प्रस्तुत पेपर महिला स्वावलंबन।
9. घोष जे. (2015) केयर इन दे नियो लिबरल इकोनामिक मॉडल इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वूमन इन गर्ल्स अनपेड केयर नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क ने दिल्ली में प्रस्तुत पेपर।
10. एल्विन बी. (1939) द बेगा जान मूरें लंदन।